न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -3018/2026

कोतवाली थाना काण्ड संख्या–329/2026

पीठासीन पदाधिकारी– राजेश सिंह

1.सीमा कुमार, उम्र–42 वर्ष, पति–श्री राजेश कुमार वर्णवाल
2.राजेश कुमार वर्णवाल, उम्र–46 वर्ष, पिता–श्री सुभाष कुमार वर्णवाल
दोनों निवासी–टेरा कोठी झिलेगंज, थाना–कोतवाली, जिला–गया

––––अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार ––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता –श्री ब्रजेश कुमार

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री मदन मोहन शर्मा

03.08.2026 आवेदक /अभियुक्तगण की ओर से कोतवाली थाना काण्ड संख्या–329/2026 अन्तर्गत धारा–316(2),318(4),3(5),352 बी0एन0एस0 में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

आदेश

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें झूॅठे मामला में फंसाया गया है। इन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसके पूर्व आवेदक की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना या अन्य किसी वरीय न्यायालय में संस्थित नहीं किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। इस झूॅठे वाद में हम लोगों को गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग समुचित बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत नहीं दी जाय, क्योंकि इन लोगों ने अजमानतीय अपराध कारित किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण पर आरोप है कि ने सूचक शिवा कुमार पांडे से अपना घर 37 लाख 51 हजार रूपया में विक्रय करने का करार किया था। 15 लाख रूपया अग्रिम भी प्राप्त कर लिये थे, किन्तु दोनों पक्षों के बीच विवाद होने के कारण मकान का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया जा सका। सूचक भी न्यायालय में उपस्थित हैं। उनका कहना है

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -3018/2026</u>

कि शेष 22 लाख 51 हजार रूपया में सितम्बर तक अभियुक्तगण को भुगतान कर दूंगा। यदि भुगतान करने में असफल रहता हूं तो अभियुक्तगण किसी अन्य को अपना मकान विक्रय करने के लिये स्वतंत्र होंगे। उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला पूर्ण रूप से सिविल प्रकृति का है। शिवा पांडे आज न्यायालय में उपस्थित हैं। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने में पश्चात इनके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभियुक्तगण द्वारा निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रुपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने आदेश दिया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II,
गया